रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1986/चैत्र 12, 1908

No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1986/CHAITRA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

संकल्प

एफ सं0 11012/4/85-एस0आर0—भारत के प्रधान मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष के बीच 24 जुलाई, 1985 को हुए समझौते के विवरण के पैरा 7.2 और 7.3 इस प्रकार हैं:

"7.2 श्रीमती इन्दिरा गांधी की सदा से ही यह धारणा थी कि जब कभी चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जावें। पंजाब में हिन्दी भाषी क्षेत्रों जो चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को जाने चाहिए के निर्धारण के लिये एक आयोग गठित किया जाएगा।

इस प्रकार के निर्धारण के लिए निकटता और भाषाई लगाव के सिद्धांत को मानकर गांव को एक इकाई माना जाएगा। आयोग 31 दिसम्बर, 1985 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगी। आयोग का कार्य इस पहलू तक सीमित रहेगा और सीमा संबंधी सामान्य दावों से अलग होगा जिन पर पैरा 7.4 में उल्लिखित एक अन्य आयोग विचार करेगा।"

7.3 पंजाब को चंडीगढ़ और इसके बदले में हरियाणा को दिये जाने वाले क्षेत्रों का हस्तांतरण साथ-साथ 26 जनवरी, 1986 को होगा।"

ऊपर पैरा 7.2 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार के तारीख 20 अगस्त, 1985 के संकल्प सं0 11012/4/85-एस0आर0 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के0के0 मैथ्यू की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया।

2. न्यायमूर्ति श्री के0के0 मैथ्यू की सिफारिशों तथा टिप्पणियों, और समझौते के विवरण के पैरा 7.2 और 7.3 के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ई0एस0 वेंकटरमैया की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग नियुक्त करने का निणय किया है।

3. यह आयोग न्यायमूर्ति श्री के0के0 मैथ्यू की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा और पंजाब के ऐसे अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों को निर्धारित करेगा और निर्दिष्ट करेगा जो चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को जाएंगे।

4. आयोग समझौते के विवरण के पैरा 7.2 में निर्धारित किये गए सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा।

5. आयोग अपने कार्य के लिए अपनी कार्यविधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। आयोग साधारणतया अपनी बैठकें गुप्त रूप से करेगा।

6. आयोग भारत सरकार को अपनी सिफारिशें अधिक से अधिक 31 मई, 1986 तक दे देगा।

7. समझौते के विवरण के पैरा 7.3 के उपबंधों के अनुसार, पंजाब को चंडीगढ़ का हस्तान्तरण तथा उसके बदले में हरियाणा को क्षेत्रों का हस्तांतरण आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देने के बाद जितना जल्दी संभव हो लेकिन तीन सप्ताह से पूर्व एक साथ किया जाएगा।

आर० डी० प्रधान, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजी जाए, और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि आयोग को भेजी जाए।

आर० डी० प्रधान, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd April, 1986

RESOLUTION

F. No. 11012|4|85-SR.—In the memorandum of Settlement dated the 24th July, 1985 between the Prime Minister of India and the President of Shiromani Akali Dal, paragraphs 7.2 and 7.3 read as follows:—

"7.2 It had always been maintained by Smt. Indira Gandhi that when Chandigarh is to go to Punjab some Hindi-speaking territories in Punjab will go to Haryana. A commission will be constituted to determine the specific Hinde-speaking areas of Punjab which should go to Haryana, in lieu of Chandigarh.

The principle of contiguity and linguistic affinity with a village as a unit will be the basis of such determination. The commission will be required to give its findings by 31st December 1985 and these will be binding on both sides. The work of the commission will be limited to this aspect and will be distinct from the general boundary claims which the other commission referred to in para 7.4 will handle.

7.3 The actual transfer of Chandigarh to Punjab and areas in lieu thereof to Haryana will take place simultaneously on 26th January, 1986."

In pursuance of the provisions contained in para 7.2 above, the Government of India constituted vide Resolution No. 11012|4|85-SR dated the 20th August, 1985, a Commission consisting of Shri Justice K.K. Mathew, a retired Judge of the Supreme Court of India.

2. In pursuance of the recommendations and observations of Shri Justice K.K. Mathew and paragraphs 7.2 and 7.3 of the Memorandum of Settlement, the Government of India have decided to appoint another Commission consisting of Shri Justice E.S. Venkataramiah, Judge of the Supreme Court of India.

3. The Commission will take into account the Report of Shri Justice K.K. Mathew and will determine and specify the other Hindi-speaking areas of Punjab which shall go to Haryana in lieu of Chandigarh.

4. The Commission shall follow the principles as laid down in para 7.2 of the Memorandum of Settlement.

5. The Commission will be at liberty to devise its own procedure for its work. The Commission will ordinarily hold its meetings in private.

6. The Commission will make its recommendations to the Government of India not later than 31st May, 1986.

7. In terms of the provisions of para 7.3 of the Memorandum of Settlement the transfer of Chandigarh to Punjab and the areas in lieu thereof to Haryana will take place simultaneously, as early as possible, not later than three weeks of the Commission submitting its recommendations.

R. D. PRADHAN, Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc., and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to the Commission.

R. D. PRADHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986